



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र  
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE  
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

आश्विन 26, सोमवार, शाके 1943-अक्टूबर 18, 2021

Asvina 26, Monday, Saka 1943- October 18, 2021

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

परिवहन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 18, 2021

संख्या प 7 (198) परि/नियम/मु./ 2006/ पार्टI/18744 :-राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 के नियम 4.3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक प 7(198)परि/नियम/मु./ 2006/ पार्टI/10712 दिनांक23.06.2021 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार इसके द्वारा नीचे उल्लेखित सारणी-1 में कॉलम संख्या 2 में विनिर्दिष्ट वाहनों के लिए क्रम से पूर्व विशिष्ट पंजीयन क्रमांक आवंटन करने के लिए शुल्क राशि, उसके प्रत्येक के सामने कॉलम संख्या 3, 4, 5, 6, 7 एवं 8 में विनिर्दिष्ट प्रकार से एवं किसी व्यक्ति के पुराने यान पर आवंटित किसी भी पंजीयन क्रमांक को उसके नये यान पर रखने (retain) हेतु शुल्क राशि सारणी-2 के कॉलम 2 मेंविनिर्दिष्ट वाहनों के लिए उसके सामने कॉलम 3 के अनुसार विहित करती है:-

## सारणी-1

क्रम संख्या	यान की श्रेणी एवं विशिष्ट पंजीयन क्रमांक का वर्णन	वर्तमान में चल रही श्रेणी हेतु शुल्क राशि (रूपये)	वर्तमान में चल रही श्रेणी से प्रथम अग्रिम (0001 से 9999) हेतु शुल्क राशि	वर्तमान में चल रही श्रेणी से द्वितीय अग्रिम (0001 से 9999) हेतु शुल्क राशि	वर्तमान में चल रही श्रेणी से तृतीय अग्रिम (0001 से 9999) हेतु शुल्क राशि	वर्तमान में चल रही श्रेणी से चतुर्थ अग्रिम (0001 से 9999) हेतु शुल्क राशि	वर्तमान में चल रही श्रेणी से पंचम अग्रिम (0001 से 9999) हेतु शुल्क राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	दुपहिया वाहन						
	(i) पंजीयन क्रमांक 0001, 0005, 0006, 0007, 0009, 0011, 0786, 1111, 2414, 4141, 8055 एवं 9999 के आवंटन के लिए	10000	कॉलम संख्या 3 में अंकित शुल्क राशि का 200 प्रतिशत	कॉलम संख्या 3 में अंकित शुल्क राशि का 300 प्रतिशत	कॉलम संख्या 3 में अंकित शुल्क का 400 प्रतिशत	कॉलम संख्या 3 में शुल्क का 500 प्रतिशत	कॉलम संख्या 3 में अंकित शुल्क राशि का 600 प्रतिशत
	(ii)अन्य पंजीयन क्रमांको के लिए	5000					
2.	दुपहिया से भिन्न यान						

(i) पंजीयन क्रमांक 0001, 0003, 0005, 0007, 0009 एवं 0786 के आवंटन के लिए	101000	कॉलम संख्या 3 में अंकित शुल्क राशि का 200 प्रतिशत	कॉलम संख्या 3 में अंकित शुल्क राशि का 300 प्रतिशत	कॉलम संख्या 3 में अंकित शुल्क का 400 प्रतिशत	कॉलम संख्या 3 में शुल्क का 500 प्रतिशत	कॉलम संख्या 3 में अंकित शुल्क राशि का 600 प्रतिशत
(ii) पंजीयन क्रमांक 0002, 0004, 0006, 0008, 0010, 0011, 0018, 0021, 0045, 0051, 0081, 0099, 0100, 0101, 0108, 0111, 0555, 0777, 0999, 1000, 1008, 1111, 2727, 3636, 4545, 5555, 7777, 8181 तथा 9999के आवंटन के लिए	51000					
(iii) पंजीयन क्रमांक 0027, 0090, 0900, 0909, 1100, 2100, 2121, 2414, 4141, 5100, 5454, 6363, 7000, 7272, 8055, 9000, 9009 तथा 9090के आवंटन के लिए	33000	कॉलम संख्या 3 में अंकित शुल्क राशि का 150 प्रतिशत	कॉलम संख्या 3 में अंकित शुल्क राशि का 200 प्रतिशत	कॉलम संख्या 3 में अंकित शुल्क का 250 प्रतिशत	कॉलम संख्या 3 में शुल्क का 300 प्रतिशत	कॉलम संख्या 3 में अंकित शुल्क राशि का 350 प्रतिशत
(iv) अन्य 3 या 4 समान अंक वाले पंजीयन क्रमांको के लिए	21000	कॉलम संख्या 3 में अंकित शुल्क राशि का 150 प्रतिशत	कॉलम संख्या 3 में अंकित शुल्क राशि का 200 प्रतिशत	कॉलम संख्या 3 में अंकित शुल्क का 250 प्रतिशत	कॉलम संख्या 3 में शुल्क का 300 प्रतिशत	कॉलम संख्या 3 में अंकित शुल्क राशि का 350 प्रतिशत
(v) शेष पंजीयन क्रमांक	11000					

## सारणी-2

क्रम संख्या	यान की श्रेणी एवं पुराने यान पर आवंटित पंजीयन क्रमांक को नये यान पर रखने (retain) हेतु	शुल्क राशि (रूपये)
1	दुपहिया वाहन	
	(i) पंजीयन क्रमांक 0001, 0007, 0009 एवं 0786 के आवंटन के लिए	10,000/-
	(ii) शेष पंजीयन क्रमांको के लिए	5,000/-
2.	दुपहिया से भिन्न यान	
	(i) पंजीयन क्रमांक 0001, 0007, 0009 एवं 0786 के आवंटन के लिए	51,000 /-
	(ii) शेष पंजीयन क्रमांको के लिए	21,000/-

स्पष्टीकरण: -

- (i) वर्तमान में चल रही पंजीयन श्रेणी से पंचम अग्रिम श्रेणी के पश्चात प्रत्येक अग्रिम पंजीयन श्रेणी में पंजीयन क्रमांक आवंटन शुल्क राशि पूर्ववर्ती अग्रिम श्रेणी के पंजीयन क्रमांक आवंटन शुल्क राशि में कॉलम संख्या 3 में निर्धारित शुल्क राशि के समान राशि जोड़कर गणना की जाएगी।
- (ii) वाहनों पर अग्रिम पंजीयन क्रमांक आवंटन समय-समय पर परिवहन आयुक्त द्वारा निर्धारित अग्रिम पंजीयन आवंटन सीमा के अध्यक्षीन रहेगा।
- (iii) नये यान पर एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर इच्छित पंजीयन क्रमांक शुल्क राशि का निर्धारण विभाग द्वारा उस श्रेणी की निर्धारित दर को आरक्षित दर मानते हुए, ई-नीलामी द्वारा अधिकतम बोली के आधार पर किया जाएगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,  
महेन्द्र कुमार खींची,  
संयुक्त शासन सचिव।

---

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।